

04/10  
22

फत्रावली पेश हुई। वकीलवादी अनु.  
फत्रावली के अनुरान अनुसार आवाजे दिलाई गई।  
बार-बार आवाजों के बावजूद वकील वादी तथा

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

कमर व शहर  
अदालत जज जय  
की तामिल में जा  
हवे

प्राची स्वयं अनु रहे। लिटाजा प्रार्थना पत्र प्राची  
अदम टाजरी अदम पैरकी में थारिज किया जाता  
है। पत्रावली कैसल शुमार टैकर नंबर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
बाली, जिला-प्राची (राज.)